(30) (30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2052-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8-2-2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 70/अ-74/2014-15

श्रीमती कुसुम पति श्री विजयकुमार जैन
निवासी 18 डी मॉ दुर्गा नगर इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

1-मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर
2-मध्यप्रदेश शासन
द्वारा तहसीलदार इंदौर .....अनावेदकगण

श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-2-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर तहसीलदार इंदौर द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया कि ग्राम कैलोद करताल के सर्वे नम्बर 906 स्थित भूमि वर्ष 1972-73 के राजस्व अभिलेख में सर्वे नम्बर 906/1 रकबा 7.790 हेक्टेयर चारागाह भूमि के रूप में दर्ज है तथा सर्वे क्रमांक 906/2 रकबा 4.856 हेक्टेयर भूमि सेवा भूमि के रूप में दर्ज रही है । वर्ष 1975-76 के खसरा नम्बर 706/1 रकबा 7.228 हेक्टेयर भूमि को काबिल कास्त घोषित किये जाने का उल्लेख राजस्व अभिलेख में कॉलम नम्बर 12 में पाया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-19/1976-77 पारित आदेश दिनांक 15-10-1977 से उक्त काबिल कास्त भूमि में से 15 व्यक्तियों को पटटे पर आवंटित की गई । उक्त पटटागृहिताओं में से 14 लोगो द्वारा उन्हें आंवटित भूमि भाग कर 57 लोगो को बिना सक्षम अनुमति के अवैधानिक तरीके से विक्रय कर दी गई है। राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के सर्वे नम्बर 906/11/मिन रकबा 0.157 हेक्टेयर आवेदिका के नाम दर्ज होना पाया गया है । तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुये दिनांक 8-2-16 को आदेश पारित कर उक्त भूमि पर से आवेदिका का नाम कम कर उक्त भूमि शासन में वैष्ठित करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुये उक्त उल्लेखित भूमि से निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेखों से कम किये जाने का विवादित आदेश दिया गया है जबकि वैधानिक स्थिति यह है कि संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी में कार्यवाही करने हेतु निर्धारित समयावधि 180 दिवस है । निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है एवं वर्ष 2006 में ही राजस्व अभिलेखों में अपना नामान्तरण कराया गया है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में यह लिखा है कि उक्त भूमि के विक्रय से पटटे की अनिवार्य शर्तो का उल्लंघन होता है किन्तु आदेश में इस बात का कहीं भी इस उल्लेख नहीं किया गया है कि पटटे की कौन सी शर्त का उल्लंघन किया गया था जिसका उल्लंघन आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया कि कलेक्टर अपने आदेश में उल्लेखित करना कि संहिता की धारा 165(7-ख) के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते है एवं ना ही उक्त प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से आकृष्ट होते हैऐसी कोई विधिक मंशा है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वाराभी प्रावधानों से यह विधिक स्थिति स्पष्ट होती है कि संहिता में निहित उक्त प्रावधान भविष्यलक्षी

प्रभाव के हैं, उनके आधार से उनके संहिता में अंतर्विष्ट किये जाने के पूर्व के प्रकरणों पर लागू नहीं किया जा सकता है । इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सदर प्रकरण में उल्लेखित भूमि के संबंध में दिये गये पटटे वर्ष 1977 के संबंध में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुये विवादित आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में लिखित तर्क में प्रकरण में उठाई गई तथ्य परिस्थितियों एवं वैधानिक स्थितियों के संबंध में धारा 165 एवं धारा 50 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 3500/2015 व रिट अपील क्रमांक 23/2017 में पारित आदेश में भी विधि के उक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुये वैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई है । इस कारण भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निराकृत उक्त प्रकरणों में पारित आदेश में अभिनिर्धारित प्रावधान अनुसार इस प्रकरण का निराकरण किया जाना न्यायोचित होगा इसलिये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायहित में अपास्त किया जाना न्यायोचित होगा ।

4/ अनावेदक शासन विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पट्टेदार को उसके परिवार के जीवकोपार्जन के लिए आबंटित की गई थी, जो कि अहस्तांतरणीय स्वरूप की हैं, जिसे पट्टेधारी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के विक्रय की गई है । अत: जिस उद्देश्य के लिए भूमि प्रदाय की गई थी, भूमि विक्रय किये जाने से मूल उद्देश्य विफल हुआ है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि म.प्र. शासन के नाम वेष्टित किये जाने के आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में 2002 आर.एन. 95 बुधुवा चमार विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "अंतरण का केवल एक ढंग है - अंतरण, कलेक्टर की अपेक्षित अनुज्ञा के अभाव में विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण - विक्रय विलेख विधि की दृष्टि में विधिमान्य नहीं माने जा सकते-अंतरिती कोई अधिकार अथवा हक अर्जित नहीं करते ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-2-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर